कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य./पीएसपीसी/आरटीई/दिशा निर्देश/60356/2018–19 /12 दिनांकः 30/4/18.

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा,(समस्त)

अति आवश्यक
(ई–मेल से आज ही)

भीलवाड़ा–I

विषयः–राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित ट्रेनिंग एंव कार्यशालाओं के संबंध में।

1040
28.5.18

सन्दर्भः–राप्राशिप के पत्र क्रमांकः–राप्राशिप/जय/आरटीई/2017–18/270 दिनांक 09.04.18के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 में प्रावधान है कि विद्यालयों में किसी भी बालक को शारीरिक सजा या मानसिक उत्पीडन नहीं किया जाये। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इस बाबत आपके अधिनस्थ समस्त गैर सरकारी विद्यालयों के सचिव/प्रबंधक को उक्त दिशा–निर्देश की प्रति प्रेषित करते हुए तथा इनकी पालना सुनिश्चित करवाते हुए सूचना इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होने पर आप व्यक्तिशः जिम्मेदार होगें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

30/4/18

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम भीलवाड़ा

कमांक :– जिशिअभी/शा0शि0/ 2017–18/ 1082 दि0 31/05/2018

समस्त संस्था प्रधान
राजकीय/निजी मावि/उमावि(छात्र/छात्रा)

मूल ही उक्त पृष्ठांकित पत्र भेजकर लेख है कि पत्र में दिए गए निर्देशों की पालना अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम भीलवाडा

प्रियंक कानूनगो
Priyank Kanoongo
सदस्य
Member

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS
नई दिल्ली–110 001
New Delhi - 110 001

D.No. 2015/I4/2017-18/NCPCR/RTE

Dated: 23.02.2018

Dear Sir,

Reference is invited to Section 17 of the RTE Act, 2009 wherein it has been stated that:-

(1) No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.

In this regard the Commission has held a series of Training and Orientation workshops across the country on "NCPCR Guidelines for Eliminating Corporal Punishment in Schools" for the Principals, Head Masters and Teachers of various Schools.

As one of the outcomes of these workshops and also based on the number of grievances pertaining to corporal punishment in schools received, it has been observed by the Commission that there is lack of sensitization of Teachers and Principals of private schools w.r.t elimination of corporal punishment as per guidelines.

Also, there are roughly 3.2 million teachers in private schools in India who have not received sensitization due to lack institutionalized mechanism for in-service training and orientation programs in the private sector. However, such kind of training is available to the Government school teachers through SCERTs and DIETs.

In view of the above, the Commission recommends that Education Departments of States and UTs may ensure that sensitization/orientation workshops for eliminating corporal punishment from schools based on NCPCR guidelines are conducted in all the schools. NCPCR shall provide technical guidance to the State Governments for such trainings, if required.

With regards,

Yours sincerely,

(Priyank Kanoongo)

Shri Naresh Paal Ganwar,IAS
Principal Secretary,
Govt. of Rajasthan,
School Education and Language Department ,
Room no. 1212 , Main Building,
Government Secretariat Jaipur -302015
RAJASTHAN

द्वितीय तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110 001
2nd Floor, Chanderlok Building, 36, Janpath, New Delhi-110 001
दूरभाष / Ph. : 011-23478251 फैक्स / Fax : 011-23724028
Web : www.ncpcr.gov.in, e-mail: priyank.ncpcr@gov.in, Lodge your complaint at : www.ebaalnidan.nic.in